राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 02/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रोडावास बनाम **श्री नाथू पुत्र श्री भैरू, श्री सूण्डा, मेहराम पुत्र कालू जाति भांभी निवासी तित्यारी**

<u>निर्णय</u> दिनांकः–21.01.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम तित्यारी के आराजी खसरा नंबर 126 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0–03 बीघा पर बाड़ लगाकर कर कब्जा कर लिया। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।अतः मामला निर्णीत किया जाता है

आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम तित्यारी के आराजी खसरा नंबर 126 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0–03 बीघा भूमि पर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.04 का 50 गुणा 2 रु. रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से क्रम हो पत्रावली बाद दाखिल दफ्तर हो।

वर्ष 2021-22 रा.ले.रां. 4 के पृष्ठ संख्या 4 पर रा. 21 क्रं.नाम कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार 21/2/22

नायब तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)

नायब तहसीलदार
तहसील रुपनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner